

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

पारित
आदेश पर
अनुपालन

न्यायालय अपर समाहर्ता, गिरिडीह ।

केस का प्रकार.....परमिशन.....

केस सं० 81 वर्ष 2014

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत

परमिशन हेतु आदेश पत्र।

श्री/श्रीमति 1.श्री कृष्ण प्रसाद भगत, 2. श्री बद्री प्रसाद भागत, दोनों पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद भगत एवं 3. श्री शम्भु प्रसाद भगत पिता स्व. सीताराम भगत, साकिन बगोदर थाना बगोदर, अंचल बगोदर, जिला गिरिडीह से संबंधित भूमि जिसका ब्यौरा निम्नवत् है, झारखण्ड राज्यपाल के नाम दान पत्र, झारखण्ड सरकार के साथ जमीन ~~वसियत~~ ~~विक्री~~ ~~लीज~~ हेतु काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(i)(b)के तहत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है आम इश्तहार जारी करें। अंचल अधिकारी, बगोदर से जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित माँग करें। किसी व्यक्ति को यदि आपत्ति पत्र दाखिल करना है तो दिनांक 30/9/14 तक अपना आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।

भूमि का व्यौरा

मौजा	थाना एवं थाना नं०	खाता नं.	प्लॉट नं.	विक्री रकवा(एकड़ में)
1	2	3	4	5
घाघरा	बगोदर 106	64	2402/3 2402/4	2.00 3.00
कुल रकवा पाँच एकड़)				5.00

लेखापित

30/9/14
अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

30/9/14
अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

14/10/17

अधिकार उपस्थापित | अवलोकन किया |
गए मामला निबंध्य है |
अतः कार्यवाही समाप्त की जाती है |

केरवापित

14/10

अपर समाहर्ता
जिरिडीह |

14/10

अपर समाहर्ता
जिरिडीह |

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थान	अन्य
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

14/10/17

14/10/17

अपर समाहर्ता

अपर समाहर्ता

जिरिडीह

जिरिडीह